

कार्यालय आयुक्त सहायिका एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश
क्रमांक/स्थापना/10/वि.जां./2019/2608 भोपाल, दिनांक 24-9-19
- आदेश -

श्री राजेश माण्डलेकर, सहायक ग्रेड-03, हरदा का कार्यालयीन आदेश दिनांक 05.07.2019 के द्वारा प्रशासकीय आधार पर हरदा से टीकमगढ किया गया था, एवं सहायक आयुक्त सहायिका, जिला हरदा के आदेश दिनांक 27.07.19 के द्वारा उन्हे नवीन पदस्थापना जिला टीकमगढ में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया गया, किन्तु श्री माण्डलेकर द्वारा नवीन पदस्थापना जिला टीकमगढ में कार्यग्रहण नहीं किये जाने के फलस्वरूप उन्हे कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था/10/वि.जां./2019/2557, दिनांक 16.09.2019 के द्वारा निलंबित किया जाकर निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला टीकमगढ नियत किया गया है।

श्री राजेश माण्डलेकर, सहायक ग्रेड-03, के द्वारा नवीन पदस्थापना जिला टीकमगढ में दिनांक 08.08.2019 को कार्यग्रहण किया जा चुका है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये श्री राजेश माण्डलेकर, सहायक ग्रेड-03 टीकमगढ के निलंबन आदेश दिनांक 16.09.2019 को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

Age
(डॉ० एम०के०अग्रवाल)

आयुक्त सहायिका एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म०प्र०

क्रमांक/स्थापना/10/वि.जां./2019/ 2608 भोपाल, दिनांक 24-9-19
प्रतिलिपि-

- 01- प्रमुख सचिव म०प्र०शासन सहायिका विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 02- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी सहायिका म०प्र०शासन भोपाल ।
- 03- संयुक्त आयुक्त सहायिका संभाग सागर/होशंगाबाद ।
- 04- उप/सहायक आयुक्त सहायिका जिला टीकमगढ/हरदा ।
- 05- सहायक आयुक्त सहायिका, आई.टी.शाखा मुख्यालय को विभागीय पोर्टल में अपलोड करने हेतु ।
- 06- स्थापना 05, मुख्यालय ।
- 07- श्री राजेश माण्डलेकर, सहायक ग्रेड-03, द्वारा-उपायुक्त सहायिका जिला टीकमगढ ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Age
आयुक्त सहायिका एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म०प्र०

2